

2020/00221

फर्द अहकाम

न्यायालय

राजेश

बनाम

हुनुमान

मुकदमा संख्या / वर्ष

124 / 2020

क्र०स०

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

26-11-21

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 24-9-21 को पेश हो।

24/9/21

पत्रावली पेश हुई। कमील पश्मा (अभिमत) P.O. सा दौरे वरिष्ठ के व्यस्त रहने के कारण पत्रावली दिनांक 26.11.21 को पेश हो।

राजस्थान सरकार शांति (वि. नं. 1) का के आदेश क्रमांक 4/2021 राज. नं. 21 दिनांक 03-03-2021 के अन्तर्गत पत्रावली प्रशासन गांधी के राजस्थान 2021 में केम्प कोर्ट दिनांक 29.11.21 को पेश हो। प्रकाशकों को केम्प नोटिस जारी हो।

29.11.21

पत्रावली आज्ञा प्रशासन गांधी के अंतर्गत केम्प दिनांक 29.11.21 को पेश हुई। कमील पश्मा (अभिमत) कमील को नोटिस पत्र पेश किया गया। पत्रावली को अहकाम के अंतर्गत दिनांक 29.11.21 को पेश हो।

(Handwritten signature)

2020/00221

फर्द अहकाम

न्यायालय बिहारक कलकत्ता जिला प्रयागपुर

राजेश बनाम हनुमान

मुकदमा संख्या/वर्ष

124/2020

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>लोकत विपार। वाडी व प्रतिविली इला पत्रावली में राजीवनामा पेश किया हुआ है राजीवनामा अनुसार वाउ प्राप्त प्रति ख.नं. 301, 306, 308, 318, 489, 726 कुल कितने 6 कुल खजाने पकीछा पकीछा सिपत राजी लालबाबू तहसील कसरी में के राजाव दिमाड में वाडी का कोलताजात जाबरात है तथा आधार कार्ड पध्यात पत्र, राजाव कार्ड राजकीय दस्तावेज में वाडी का नाम राजेश अंकित किया हुआ है लालारज व राजेश दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। राजाव दिमाड में लालारज कुन रामसुव के स्थान पर राजेश पुत्र रामसुव इजाजत किया जाने हेतु वाडी व प्रतिविली ने राजीवनामा पेश कर सहमति प्रदान की है।</p> <p>उपरोक्त विवेक के आधार पर वाडी का वाडी शिवांग, विपार नाम वाउ प्राप्त प्रति ख.नं. 301, 306, 308 318, 489, 726 कुल कितने 6 कुल खजाने पकीछा पकीछा सिपत राजी लालबाबू तह. कसरी जिला प्रयागपुर में वाडी के 10 हिस्से का खतेद्वार घोषित किया जाने राजाव दिमाड में लालारज कुनराज</p>	

2020/222


फर्द अहकाम

न्यायालय

राजेश बनाम हनुमान

124/2020

मुकदमा संख्या/वर्ष

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>पुत्र के लक्षण पर राजेश को शकामुक्त दुकानें किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त दुकानें वक्तमातरात्मक मिस के दुकानें किये जाकर अंतर देखाई की कार्यवाही करे। दिखी जाती है। निर्णय व दिखी की कार्यवाही हेतु उद्वेगित होती है। कार्यवाही के लिये थुमार हेमर काउंटेन्समें शामिल दफ्तर है।</p> <p>आज दिनांक 29.11.2020 को यह निर्णय प्रशासन जंको के लेज अफिसर केम्व किराणापुल में मजिस्ट्रेट आदमी से सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> मजिस्ट्रेट कलकत्ता बस्ती जिला कलकत्ता</p>	

डिक्री मुकदमा इबदाई

(ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, मुकाम बरसी, जिला जयपुर बड़जलारा
पीठासीन अधिकारी-शिवचरण शर्मा आर0ए0एस
प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

पक्षी

राजेश पुत्र राममुख
जाहि मोत निवासी
लाजपट तहसील कमी
मिनर जयपुर

प्रतिवादीगण

1. इबदात पुत्र राममुख
2. राममुख पुत्र राममुख
3. देवदास पुत्र राममुख
4. सोबिती पुत्र राममुख
5. लाली पुत्र राममुख
6. अजय पुत्र बजरीडा मन्त जाहि मोत
जि लाजपट तह. कमी
7. तह. कमी

दारा

अर्न्तधारा धारा 88, 87

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं 124/20

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कई रूबरु हमार ^{ACM} ~~कमी~~ ^{कमी}

प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरु हमार मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जायेगा

मुताबिक राजीवका सोका विप्रा जाक वाड इत गति (र. नं. 301, 306, 308, 318, 489
726 एत कित 6 कुब रकबा 4 बीघा 4 मिनर स्थित इत लाजपट तह. कमी
मिनर जयपुर में वाडी को 10 दिसेक खोबेदा होकर विप्रा जाक राजेश
देमाई में लाजपट पुत्र राममुख के स्वात पूरा राजेश पुत्र राममुख इत कित
जाते के घोषा दिये जाते है। अतः मुताबिक मुताबिक राजेश विप्रा को इत
विप्रा जाक अखल इतक की वापसी को

निज मर्दकिल वाया खर्चा इस मुकदम का नव रुद वगैरा कारवाय को
परमियत को को भुदा करे।
अतः न. 124/20 मुकदमा के आन तारा 2021 के अन्तर्गत



रस्ता
ओ सहायक कलक्टर बरसी मिनर जयपुर

(शिवचरण शर्मा)
सहायक कलक्टर बरसी
जिला- जयपुर